(13) पहले से नियुक्त उम्मीदवारों को इस निर्णय में दर्ज निष्कर्षों के आलोक में उन्हें नोटिस देने के बाद कुछ समय के लिए विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है।

आरएनआर

न्यायमूर्ति वी. के. बाली और बी. राय के समक्ष

देवेंद्र कुमार और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

यू. टी. चंडीगढ़ और *अन्य-उत्तरदाता*

***1998* का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 14804**

30 सितंबर, 1998

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226/227—भूमि अधिग्रहण *अधिनियम, 1894-धारा 11-ए-पंचाट की अवधि-धारा* 4 *और* 6 *के तहत* अधिसूचना *को पंचाट पारित करने में देरी के आधार पर रद्द करने की मांग की गई-कलेक्टर ने प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर पंचाट पारित नहीं किया-कुछ भूमि मालिकों द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश-अभिनिर्धारित किया गया कि यह पूरी तरह से मायने नहीं रखता है कि किसी व्यक्ति विशेष ने अपनी भूमि के अधिग्रहण के लिए स्थगन आदेश प्राप्त किया था या नहीं-जिस अवधि के लिए स्थगन आदेश प्रचलन में रहा थी, उसे सीमा की अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 6 के तहत घोषणा जारी करने या अधिग्रहण कार्यवाही की गणना करने के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में उस अवधि को हटाने का रेखांकित विचार हालांकि इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश पर आधारित है, संबंधित अधिकारी संभवतः अंततः भूमि का अधिग्रहण करने और इसे उस सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। जिस क्षण न्यायालय स्थगन आदेश लगाता है, यह अव्यवहारिक हो जाता है और अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि के लिए योजना को निष्पादित करना असंभव नहीं तो भी असंभव हो जाता है और सब कुछ स्थिर हो जाता है। यही सटीक कारण था कि सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिस अवधि के लिए स्थगन आदेश प्रचलन में रहा, उसे सीमा की अवधि की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए और यह पूरी तरह से *मायने* नहीं रखता कि किसी विशेष व्यक्ति ने अपनी भूमि के अधिग्रहण पर रोक प्राप्त की थी या नहीं।

(पैरा 7)

पी. एस. सैनी के *साथ* जे. आर. जोशी *अधिवक्ता-याचिकाकर्ता के लिए।*

उत्तरदाताओं की ओर से अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ *अधिवक्ता के साथ, लिसा गिल, अधिवक्ता*

आदेश

वी. के. बाली, जे. (मौखिक)

(1) इस सामान्य आदेश द्वारा हम 1998 की संख्या 14804,1998 की संख्या 14903 और 1998 की संख्या 14892 वाली तीन संबद्ध सिविल रिट याचिकाओं पर निर्णय लेने का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि इन सभी याचिकाओं में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं। जैसा कि दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई है, तथ्यों को 1998 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 14804 से लिया गया है।

(2) देविंदर कुमार और 56 अन्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उनके द्वारा दायर वर्तमान याचिका के माध्यम से प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट की मांग की है ताकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाए) की धारा 4 के तहत अधिसूचना को रद्द किया जा सके। 31 जनवरी, 1992 का अधिनियम (अनुलग्नक पी-2) केवल इस आधार पर कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने निर्धारित समय में पंचाट नहीं दिया है और इसलिए अधिसूचनाएं, पंचाट और बाद की सभी कार्यवाहियां अधिनियम की धारा 11-ए के प्रावधानों के आधार पर समाप्त हो गई हैं। जैसा कि याचिका में प्रस्तावित किया गया है, यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि भले ही धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं क्रमशः 31 जनवरी, 1992 और 29 जनवरी, 1993 को जारी की गई थीं और कलेक्टर ने घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर धारा 11 के तहत पंचाट नहीं दिया था और इसलिए, अधिनियम की धारा 11-ए के तहत पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाती है। इस न्यायालय के 1996 के सी. डब्ल्यू. पी. 4433 (अनुलग्नक पी-4ए) दिनांक 11 अगस्त, 1997 के फैसले को इसका आधार बनाया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान मामले में शामिल अधिसूचनाओं *को* ऊपर उल्लिखित मामले में रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता अनुलग्नक पी-4ए द्वारा जिस संक्षिप्त आदेश पर भरोसा किया गया है, वह इस प्रकार हैः—

> "हमारे विचार में वर्तमान रिट याचिका स्वीकार किए गए तथ्यों पर सफल होने की हकदार है। विवादित भूमि का अधिग्रहण उत्तरदाताओ द्वारा 31 जनवरी, 1992 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करके किया गया था। अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना 29 जनवरी, 1993 को जारी की गई थी। इन 4 सालों के दौरान कोई भी पंचाट नहीं दिया गया है। अधिनियम की धारा 11-ए में दो साल की अवधि के भीतर पुरस्कार पारित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें विफल रहने पर उपरोक्त धारा में आगे यह परिकल्पना की गई है कि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। यह उत्तरदाताओ का मामला नहीं है कि किसी भी न्यायालय द्वारा पंचाट की घोषणा पर रोक लगा दी गई थी और इसे देखते हुए इस न्यायालय के पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है कि अधिग्रहण की *कार्यवाही* समाप्त हो गई है। तदनुसार, अनुलग्नक पी-2 और पी-6 के तहत धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया जाता है। प्रस्ताव सुनवाई के चरण में रिट को अनुमति दी जाती है।"

(3) श्री अशोक अग्रवाल, श्रीमती लिसा गिल, अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, जो उत्तरदाताओं

की ओर से पेश होते हैं, याचिकाकर्ताओं के दावे का गंभीरता से विरोध करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जहां तक 11 अगस्त, 1997 के 1996 के सी. डब्ल्यू. पी. 4433 में आदेश का संबंध है, वह वकील की रियायत पर पारित किया गया था, जो तब उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जहां लिखित बयान भी दायर नहीं किया गया था। उनके अनुसार, वर्तमान याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा 1995 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2126 में स्थगन प्राप्त किया गया था जो 24 नवंबर, 1993 को दिया गया था और 22 सितंबर, 1995 तक जारी रहा था। कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने एक अन्य याचिका के माध्यम से नं 1997 के सी. डब्ल्यू. पी. 10297 ने 22 जुलाई, 1997 को स्थगन आदेश प्राप्त किया जो 4 अगस्त, 1998 तक जारी रही। इससे पहले कि हम इस मामले में आगे बढ़ें, हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि 24 नवंबर, 1993 से 22 सितंबर, 1995 और 22 जुलाई, 1997 से 28 अप्रैल, 1998 तक ऊपर बताई गई दो अवधियां हैं और इन्हें दो साल की सीमा की गणना में शामिल नहीं किया गया, इस आधार पे यह माना जाता है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी। इस पृष्ठभूमि के साथ, अब पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का आकलन करने का समय आ गया है।

(4) 1998 के सी. डब्ल्यू. पी. 14804 में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री सैनी का जोरदार तर्क है कि सीमा की गणना करने के लिए जिस अवधि को बाहर रखने की आवश्यकता है, वह, वह है जिसके लिए याचिकाकर्ताओं ने स्थगन प्राप्त किया था, जबकि उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री अशोक अग्रवाल द्वारा समान तीव्रता के साथ तर्क दिया जाता है कि पूरी अवधि, चाहे वह याचिकाकर्ताओं के मामले में हो या अन्य जिनके लिए स्थगन प्रचलन में रहा हो, को सीमा की अवधि की गणना करने में बाहर रखा जाना चाहिए। जब किसी भी याचिका में स्थगन दिया गया हो राज्य उस अवधि को बाहर करने का हकदार है, चाहे वह याचिकाकर्ताओं या अन्य लोगों द्वारा दायर की गई हो, जब इसे पहली बार मंजूरी दी गई थी। अपने उपरोक्त तर्क के लिए, विद्वान वकील 1997 के सी. डब्ल्यू. पी. 10297 (पूरन चंद और अन्य *बनाम* भारत संघ और अन्य) जिसमे 4 अगस्त, 1998 को फैसला किया गया था, जिसमें वर्तमान मामले में शामिल अधिसूचनाएं चुनौती के अधीन थीं और उन्हीं आधारों पर थीं जिन्हें याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा सेवा में लगाया गया था। इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने शुरू में ही उपरोक्त रिट याचिका और अन्य संबंधित रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए इस प्रश्न को इस प्रकार तैयार किया:—

> "विचार करने वाली बात यह है कि क्या अधिनियम की धारा 11-ए द्वारा निर्धारित दो साल की अवधि की गणना में स्थगन की अवधि को 24 फरवरी, 1993 से गिना जाना है, जब एक ही अधिग्रहण के संबंध में पहली बार रोक दी गई थी, या अलग-अलग तारीखों से जब वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं में रोक दी गई थी।"

(5) तमिलनाडु सरकार और एक अन्य बनाम वसंत बाई[1] में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों *की संख्या पर भरोसा करने* के बाद, *खंड पीठ* ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया:—

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के इस तर्क का कि स्थगन या बेदखल करने का मतलब यह नहीं था

[1] J.T. 1997 (10) S.C. 511

कि अधिकारियों को मामले में आगे बढ़ने से रोका गया था और वे अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के दो साल के भीतर पंचाट की घोषणा करने के लिए बाध्य थे, जैसा कि अधिनियम की धारा 11-ए के तहत निर्धारित किया गया है, वसंत बाई के मामले (ऊपर) में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए कोई बल नहीं है। इस प्रकार, यह पंचाट जो 23 जुलाई, 1997 को घोषित किया गया था, 24 फरवरी, 1993 से 22 सितंबर, 1995 तक की आगे की कार्यवाही की रोक की अवधि को छोड़कर समय के भीतर था। उपरोक्त कारणों से हम इन रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इन्हें बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

(6) ऊपर निर्दिष्ट निर्णय का सामना करते हुए, जो वर्तमान याचिका में शामिल अधिसूचनाओं से संबंधित है, याचिकाकर्ताओं के लिए श्री सैनी विद्वान वकील श्री अभय राम और अन्य बनाम *भारत संघ और अन्य*[2] मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर *भरोसा करते हैं। दिए गए मामले* के तथ्यों से पता चलता है कि भूमि अधिग्रहण की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना 5 नवंबर, 1980 को जारी की गई थी और धारा 6 के तहत घोषणा 7 जून, 1985 को प्रकाशित कि गई थी। घोषणा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएं दायर की गईं। तर्क यह था कि घोषणा को तीन साल बाद प्रकाशित किया जाना कानून द्वारा वर्जित था और इसलिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) और 6 के तहत अधिसूचनाएं समाप्त हो गईं। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने धारा 4(1) के तहत अधिसूचना और धारा 6 के तहत घोषणा की वैधता को इस आधार पर माना कि कुछ भूमि मालिक जिनकी भूमि धारा 4(1) के तहत सामान्य अधिसूचना के तहत आती थी, वे पहले ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन सहित आगे की कार्यवाही पर रोक लगा चुके थे। नतीजतन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 (1) के स्पष्टीकरण, 11 के संचालन द्वारा संचालन में जारी रहने के लिए प्राप्त स्थगन आदेश को बाहर रखा गया। इसलिए, अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत प्रकाशित घोषणा को कानून में वैध माना गया था। उक्त मामले के याचिकाकर्ताओं ने सरवॉच न्यायालय के समक्ष मामले को उत्तेजित कर दिया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 2 के स्पष्टीकरण की व्याख्या करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 4(1) के तहत अधिसूचना समग्र है और समान रूप से धारा 6 के तहत घोषणा भी एक समग्र है और कुछ अन्य संचालकों को दी गई रोक और अपीलार्थियों को धारा 6 के प्रावधान द्वारा वर्जित नहीं किया गया है और न ही कानून की किसी त्रुटि से दूषित किया गया है। हम *आश्चर्यचकित* हैं कि याचिकरताओ के वकील द्वारा श्री अभय राम और अन्य बनाम भारत संघ (पहले बताया गया) पर भरोसा करना उनके मुद्दे को कैसे मदद करता है। वास्तव में, निर्णय पूरी तरह से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ हो जाता है।

(7) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री सैनी का तर्क है कि अधिसूचना की विषय वस्तु जिसमें स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चाहे वह याचिकाकर्ताओं या अन्य लोगों द्वारा दायर की गई हो, अलग-अलग अधिसूचनाओं से संबंधित थी, जबकि वर्तमान मामले में शामिल अधिसूचनाएं अलग थीं। ऊपर की गई प्रस्तुतियों के संदर्भ में, वकील ने अधिसूचना अनुलग्नक पी-2 का उल्लेख

[2] J.T. 1997 (5) S.C. 354

किया जिसमें खसरा संख्या पॉकेट संख्या 8 से संबंधित थी। विद्वान वकील ने आगे कहा कि जहां तक अधिसूचना को पिछली याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, जिसमें स्थगन आदेश दिया गया था, वह पॉकेट नंबर 6 से संबंधित थी। इस तरह का कुछ भी अनुरोध नहीं किया गया है, लेकिन यह तर्क मानते हुए कि तथ्यों पर विद्वान वकील सही है, इससे अभी भी मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विद्वान वकील यह स्वीकार करते हैं कि दोनों अधिसूचनाएँ, चाहे वे पॉकेट संख्या 8 से संबंधित हों या वर्तमान रिट में चुनौती के विषय में शामिल हों या जिसमें स्थगन आदेश दिया गया हो, उसी दिन यानी 31 जनवरी, 1992 को जारी की गई थीं। पॉकेट नंबर 8 या पॉकेट नंबर 6 में उल्लिखित भूमि से संबंधित धारा 6 के तहत घोषणा भी उसी तारीख को जारी की गई थी और अधिग्रहण का उद्देश्य भी वही था। दोनों अधिसूचनाओं में उल्लिखित सार्वजनिक उद्देश्य आवासीय-कुर्न-वाणिज्यिक परिसर के विकास और अधिसूचित क्षेत्र समिति, मणिमाजरा, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा एक कॉलेज भवन और खेल स्टेडियम आदि के निर्माण के लिए है। इस न्यायालय का यह सुविचारित विचार है कि धारा 6 के तहत घोषणा जारी करने या अधिग्रहण की कार्यवाही की गणना करने के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में उस अवधि को बाहर करने के लिए रेखांकित इद्दा हालांकि इस न्यायालय द्वारा दिया गए स्थगन आदेश के आधार पर है, संबंधित अधिकारी संभवतः अंततः भूमि का अधिग्रहण करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इसे उस सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं रख सकते हैं जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जिस क्षण न्यायालय स्थगन लगाता है, यह अव्यवहारिक हो जाता है और अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि के लिए योजना को रद्द करना असंभव नहीं तो भी असंभव हो जाता है और सब कुछ स्थिर हो जाता है। यही सटीक कारण था कि सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिस अवधि के लिए स्थगन आदेश प्रचलन में रहे, उसे सीमा अवधि की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए और यह पूरी तरह से मायने नहीं *रखता* कि किसी विशेष व्यक्ति ने अपनी भूमि के अधिग्रहण पर रोक प्राप्त की थी या नहीं। यहां तक कि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा स्थगन लगाए गए फैसले में भी, शीर्ष अदालत ने इस धारणा पर आगे बढ़ना शुरू किया था कि उस मामले के याचिकाकर्ताओं ने कोई स्थगन आदेश प्राप्त किया था, लेकिन उतने ही अन्य लोगों में जो समान रूप से प्रभावित हैं और उसी अधिसूचना को चुनौती दी थी जैसा कि उस मामले के याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी, स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था, धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचनाओं को बरकरार रखा गया था। ऊपर जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, भले ही यह माना जाए कि वर्तमान अधिसूचना पॉकेट नंबर 8 से संबंधित है जिसपर स्थगन लगा दिया गया है और जिसका संदर्भ ऊपर दिया गया है, इससे कम से कम फर्क पड़ेगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिसूचनाएं उसी दिन जारी की गई थीं और इसलिए अनुवर्ती घोषणा की गई थी और अधिग्रहित भूमि के लिए उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता था यदि स्थगन आदेश दिया गया था, हालांकि पॉकेट नंबर 8 या पॉकेट नंबर 6 से संबंधित थी। यदि पॉकेट नंबर 8 या पॉकेट नंबर 6 से संबंधित किसी भी अधिसूचना में स्थगन आदेश दिया गया था, तो दो अलग-अलग समान अधिसूचनाओं के जारी होने के कारण उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता था।

(8) ऊपर दिए गए कारणों के कारण, हम इस याचिका मे कोई योग्यता नहीं मिलती और हम इसे *इन लिमने* खारिज करते हैं।

जे एस टी।

(अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।)

रवि अमितोज़, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी